न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :—237/2019

निर्णय दिनांकः—16.09.2019

उनवान

भूरालाल पुत्र श्री नेहनूराम बैरवा जाति बैरवा निवासी अजीतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

तहसीलदार निवाई

—अनावेदक

प्रा.पत्र अन्तर्गत 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री मो. सलीम वकील प्रार्थी/आवेदक

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि आराजी ख.नं. 235/19, 238/2, 164, 214/2, 215, 221, 222, 223, 224, 228, 235/20 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार निश्चित है। प्रार्थी का नाम भूरालाल बैरवा एवं प्रार्थी के पिता का नाम नेहनूराम बैरवा है परन्तु राजस्व जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी का नाम खाता संख्या 69 में भोरीलाल व खाता संख्या 20 व 11 में भुरया व प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 69 में नैहनु एवं खाता सं. 20 व 11 में नैनू अंकित कर दिया जो गलत है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात व सरपंच ग्रा.पं. के प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम भूरालाल व प्रार्थी के पिता का नाम नेहनूराम ही अंकित है। अतः प्रा.पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्णित भूमि ख.नं. 235/19 238/2, 164, 214/2, 215, 221, 222, 223, 224, 228, 235/20 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील निवाई की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम भोरीलाल व भुरिया के स्थान पर भूरालाल व प्रार्थी के पिता का नाम नैहनु व नैनु के स्थान पर नेहनूराम अंकित किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में पेरोकार के जवाब की न्यायालय हाजा को आवश्यकता नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत प्रा.पत्र का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 235/19, 238/2, 164, 214/2, 215, 221, 222, 223, 224, 228, 235/20 वाके ग्राम अजीतपुरा

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार निश्चित है। प्रार्थी का नाम भूरालाल बैरवा एवं प्रार्थी के पिता का नाम नेहनूराम बैरवा है परन्तु राजस्व जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी का नाम खाता संख्या 69 में भोरीलाल व खाता संख्या 20 व 11 में भुरया व प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 69 मे नैहनु एवं खाता सं. 20 व 11 में नैनू अंकित कर दिया जो गलत है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात व सरपंच ग्रा.पं. के प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम भूरालाल व प्रार्थी के पिता का नाम नेहनूराम ही अंकित है। अतः प्रा.पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्णित भूमि ख.नं. 235/19, 238/2, 164, 214/2, 215, 221, 222, 223, 224, 228, 235/20 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील निवाई की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम भोरीलाल व भुरिया के स्थान पर भूरालाल व प्रार्थी के पिता का नाम नैहनु व नैनु के स्थान पर नेहनूराम अंकित किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

वकील प्रार्थी की बहस का बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम खाता संख्या 69 में भोरीलाल व खाता संख्या 20 व 11 में भुरया व प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 69 में नैहनु एवं खाता सं. 20 व 11 में नैनू अंकित है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड व सरपंच ग्रा.पं. के प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम भूरालाल व प्रार्थी के पिता का नाम नेहनूराम ही अंकित है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में बोलचाल की भाषा के आधार पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत अंकित कर दिया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 69 संवत् 2070–2073 वाके ग्राम अजीतपुरा में भोरीलाल पुत्र नैहनु के स्थान पर भूरालाल पुत्र नेहनूराम, खाता संख्या 20 व 11 संवत् 2070–2073 वाके ग्राम अजीतपुरा में भुरया पुत्र नैनु के स्थान पर भूरालाल पुत्र नेहनूराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16/9

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner